

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)

:: विविध आदेश ::

दिनांक 01-06-2021 से 05-08-2021 तक के लिए प्रभावशील)

क्रमांक 117/दो-12-11/2014

बैतूल दिनांक 30/05/2021

कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुये जिला दण्डाधिकारी बैतूल द्वारा प्रकरण क्रमांक 0063/144/2020/5178 में पारित आदेश दिनांक 29-05-2021 से राजस्व जिला बैतूल की सम्पूर्ण सीमा में दिनांक 01-06-2021 के प्रातः 06:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू विस्तारित किया गया है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के सर्कुलर क्र.ए/113/ जबलपुर दिनांक 15.01.2021 के पालन में तथा जिला बैतूल में कोविड-19 की विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुये तथा जिला अभिभाषक संघ बैतूल के निवेदन पर और समस्त प्रकार के प्रकरणों में शौतिक रूप से सुनवाई करने पर न्यायालयों में भीड़ बढ़ने से कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की संभावना होने से निम्न विविध आदेश पारित किया जाता है:-

1. जिला मुख्यालय बैतूल में स्थित सभी न्यायालयों में एवं परिवार न्यायालय बैतूल में तथा तहसील मुलताई, भैसदेही और आमला स्थित सभी न्यायालयों में दिनांक 01.08.2021 से दिनांक 05.08.2021 तक केवल निम्न प्रकार के प्रकरणों के लिये **लिमिटेड वर्चुअल हियरिंग केवल व्ही.सी. के माध्यम से** निर्देशित की जाती है :-

1. रिमाण्ड, जमानत आवेदन एवं सुपदर्शीनामा आवेदन
2. अपील एवं पुनरीक्षण (आपराधिक)
3. व्यवहार अपील केवल दिनांक 05.08.2021 के लिए
4. वे आपराधिक प्रकरण, जिनमें आरोपी/आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।
5. पाँच वर्ष से अधिक लंबी अवधि के आपराधिक प्रकरण
6. मोटरयान दुर्घटना क्लेम प्रकरणों में जमा प्रतिकर राशि प्राप्ति के आवेदन-पत्र
7. धारा 125 से 128 द.प्र.सं. के प्रकरण
8. किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरण
9. ऐसे प्रकरण जिनमें राजीनामा/समझौता आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. ऐसे सभी प्रकरण जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीमित समयावधि में निराकरण किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। (आपराधिक एवं व्यवहार प्रकरण दोनों)
11. एक्सट्रीम अर्जेंट प्रकृति के व्यवहार एवं आपराधिक प्रकरण, जिनमें न्यायालय द्वारा तात्कालिकता पायी जाती है।

2. उपरोक्त कार्य दिवसों में प्रत्येक न्यायालय में प्रकरणों की संख्या 10 (दस) से अधिक नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार कार्यालय एवं समस्त अनुभागों में भी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत रखी जावे।

3. उपरोक्त कार्य दिवसों में उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों की केवल वर्चुअल हियरिंग वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या अन्य माध्यम, जो अभिभाषकों और पक्षकारों के लिये सुविधापूर्ण है, से भी की जावेगी।

4. अभिभाषकों, पक्षकारों एवं साक्षियों की उपस्थिति पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश-पत्रिका पर लिखी जावेगी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की दृष्टि से निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेश तक अभिभाषकों, पक्षकारों और गवाहों के हस्ताक्षर आदेश-पत्रिका पर नहीं लिये जावेंगे।

5. जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील मुलताई, भैंसदेही तथा आमला में प्रमारी अधिकारी नजारत अनुभाग न्यायालय परिसर में लिमिटेड गेटरिंग तथा न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण के परिसर में आवागमन के संबंध में कोविड-19 की सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रकार की व्यवस्था करेंगे।

6. ऐसे न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण और न्यायालयीन कर्मचारीगण, जो क्वारेन्टाईन/आइसोलेटेड किये गये हैं, का प्रवेश न्यायालय परिसर में वर्जित रहेगा।

7. कोई भी व्यक्ति शराब पिये हुये, पान, गुटखा या तम्बाकू खाये हुये न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। न्यायालय परिसर में थूकना प्रतिबंधित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त गतिविधि करते पाया गया, तो वह विधि अनुसार एवं केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार अभियोजन/दण्ड का दायी होगा।

8. सभी न्यायिक अधिकारीगण, सभी अभिभाषकगण, पक्षकार एवं न्यायालयीन कर्मचारी, जो न्यायालय परिसर में आते हैं। फेस मास्क या फेस कव्हर पहनेंगे।

9. कोई भी व्यक्ति, जिसे बुखार और फ्लू है, या बुखार या फ्लू जैसे लक्षण हैं, न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी न्यायालयीन कर्मचारी को बुखार/फ्लू के लक्षण हैं, तो वह तुरंत अपने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/जिला न्यायाधीश, बैतूल को सूचित करेंगे। यदि कोई अभिभाषक, बुखार/फ्लू से ग्रस्त है, तो वह तुरंत इसकी सूचना अभिभाषक संघ/अभिभाषक संघ की सुरक्षा कमेटी को देंगे एवं अभिभाषक संघ/सुरक्षा कमेटी द्वारा तुरंत इसकी जानकारी जिला न्यायाधीश को दी जावेगी।

10. केवल उन्हीं पक्षकारों और उनके अभिभाषकगण को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनके प्रकरण नोटिफाईड एवं लिस्टेड हैं। प्रमारी अधिकारी नजारत अनुभाग, न्यायालय परिसर में इंट्री पाईट पर यह देखने की व्यवस्था करेंगे कि केवल वही अभिभाषकगण और पक्षकारगण न्यायालय परिसर में आये, जिनके प्रकरण उस दिन न्यायालय में नियत हैं।

11. न्यायालय परिसर में स्थित कैंटीन, फोटोकॉपी की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। प्रत्येक अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय, अभिभाषक संघ के कक्ष में लिमिटेड इंट्री सुनिश्चित करेंगे।


12. प्रमारी अधिकारी, नजारत अनुभाग बैतूल, मुलताई, भैंसदेही एवं आमला को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय परिसर में सेनेटाईजेशन एवं हाथ धोने की व्यवस्था मुख्य प्रवेश द्वार पर, टायलेट्स में, न्यायालय कारिडोर में करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय/न्यायालय परिसर में बिना हाथ धोये

और बिना सेनेटाईजर लगाये प्रवेश नहीं करे तथा न्यायालय एवं न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करायेंगे।

13. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पक्षकार तथा साक्षी कोविड-19 के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।

14. जिला मुख्यालय बैतूल के लिये श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश, अ.ज. / अ.ज.ज. (अत्याचार निवारण) बैतूल तथा कोविड कम्पलाईस अधिकारी श्री राजकुमार गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल तथा विविध आदेश क्र. 13/दो-12-11/2014 बैतूल दिनांक 19.01.2021 से गठित कोविड-19 के प्रति सुरक्षा कमेटी के समस्त सदस्यगण उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। तहसील मुलताई, भैसदेही एवं आमला में प्रमारी अधिकारी नजारत, माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त सर्कुलर के पालन में समिति का गठन कर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न -
माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
जबलपुर का सर्कुलर क्र.ए/113/
जबलपुर दिनांक 15.01.2021


30.5.21
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

पृष्ठा क्रमांक 615 / दो-12-11 / 2014

बैतूल, दिनांक 30/05/2021

प्रतिलिपि-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर बैतूल, जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, बैतूल जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल।
5. श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश एस.सी. / एस.टी.एक्ट बैतूल।
6. प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / अति. अपर जिला न्यायाधीश, बैतूल / मुलताई / भैसदेही श्रीमती दीपका मालवीय / श्री अनुज त्यागी / श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी / श्री राजकुमार गुप्ता / श्री ए.के. दंदेलिया / श्री सुशील कुमार जोशी / श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी।
7. श्रीमती अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बैतूल।
8. श्री दीनानाथ वाड्डिवा, जिला रजिस्ट्रार एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल।
9. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैतूल / मुलताई / भैसदेही / आमला श्रीमती सुनीता ताराम / श्रीमती रंजीताराव सोलंकी / श्रीमती मंजूषा तोकाम / श्री एन.एस. ताहेड / श्री विनोद अहिरवार।
10. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैतूल / मुलताई / भैसदेही / आमला। श्रीमती राधा उईके / श्रीमती कमला गौलम / श्रीमती प्रियंका कुशावाह / श्री अजय कुमार उईके / श्री दीपेन्द्र मालू / सुश्री पूर्वी तिवारी / श्री कौस्तुभ खेड़ा / सुश्री रीना पिपल्या।

11. प्रशिक्षु न्यायाधीश, बैतूल - श्री कृष्णा वोहरा/श्री अभिषेक साहू/श्री अंशुल चन्द्रा/श्री विशाल रिछारिया
12. श्रम न्यायाधीश, श्रम न्यायालय कैम्प बैतूल।
13. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला न्यायाधीश, बैतूल।
14. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, बैतूल / मुलताई / आमला / भैसदेही।
15. प्रभारी अधिकारी, नज्दरत / ग्रंथालय / मालखाना / पंजीयन / तलवाना / कम्प्यूटर अभिलेखागार / प्रतिलिपि / सांख्यिकीय / लेखाअनुभाग, बैतूल / मुलताई / आमला / भैसदेही
16. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बैतूल / मुलताई / आमला / भैसदेही।
17. अध्यक्ष, कोरोना संक्रमण सुरक्षा कमेटी, बैतूल
18. लोक अभियोजक / अति. लोक अभियोजक / जिला अभियोजन अधिकारी बैतूल / मुलताई / भैसदेही की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
19. प्रशासनिक अधिकारी / उप प्रशासनिक अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
20. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट / असिस्टेंट सिस्टम आफिसर / डी.एस.ए. बैतूल की ओर उक्त विविध आदेश की प्रति संबंधितों के मेल आई.डी. पर प्रेषित किये जाने हेतु।

Prakash
30.5.21

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)